

## बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड

महेश भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना -4

### कार्यालय आदेश

संचिका सं० — खा०/९/२३३/२०१६-१७

उद्योग विभाग संकल्प ज्ञापांक संख्या-566 पटना, दिनांक-17.02.2017 द्वारा खादी पुनरुद्धार योजना में स्थित संस्था/समितियों जो तसर (रेशमी) सूत कटाई कार्य करती है। उन्हें 600 नग कटिया चरखा आवंटित किया गया है। 600 नग चरखा संस्थाओं द्वारा कय किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा कटिया चरखा के लागत की 50 प्रतिशत राशि कमशः बोर्ड ज्ञापांक खा०/०९ दिनांक-27.04.2017 एवं बोर्ड ज्ञापांक खा०/२८ दिनांक-29.05.2017 द्वारा स्वीकृति के उपरान्त RTGS के माध्यम से भुगतान किया गया है। शेष राशि का भुगतान संस्था/समितियों द्वारा कटिया चरखा कय कर लिये जाने एवं खादी और ग्रामोद्योग आयोग, पटना/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र एवं जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी के द्वारा कटिया चरखा के भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता के जाँचोपरान्त (40 प्रतिशत) की राशि का भुगतान किया जाना है। 10 प्रतिशत राशि स्वयं खादी संस्था/समिति द्वारा मार्जिन मनी के रूप में वहन किया जाना है।

02. 17 संस्थाओं को उपलब्ध करायी गई 600 नग कटिया चरखा कय करने एवं खादी और ग्रामोद्योग आयोग, पटना/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र एवं जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी के द्वारा कटिया चरखा के भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तीन (03) खादी संस्थाओं को (40 प्रतिशत) की राशि मो० 1,11,150.00 (एक लाख ग्यारह हजार एक सौ पचास) रुपये मात्र भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है।

| क्र० | संस्था/समिति का नाम                                                           | आवंटित चरखा की सं० | चरखा की कुल कीमत | संस्था को 40 प्रतिशत भुगतेय राशि की स्वीकृति |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                             | 3                  | 4                | 5                                            |
| 1    | नरसिंहपुर खादी केन्द्रित रचनात्मक सं० सं० लि०, पो०-नरसिंहपुर, जिला-मुजफ्फरपुर | 20                 | 85500            | 34200                                        |
| 2    | विकास समिति जमुई                                                              | 25                 | 106875           | 42750                                        |
| 3    | पचरुखी सिल्क खादी ग्रामोद्योग सं० सं० लि०, भागलपुर                            | 20                 | 85500            | 34200                                        |
|      |                                                                               | 65                 |                  | 1,11,150.00                                  |

रुपये एक लाख ग्यारह हजार एक सौ पचास मात्र।



03. उक्त स्वीकृत राशि का भुगतान खादी पुनरुद्धार योजना मद में उपलब्ध राशि से की जायेगी।

04. खादी संस्था/समितियों को भुगतान उनके बैंक खातों में सीधे RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।

05. शेष शर्त बोर्ड द्वारा निर्गत पूर्व कार्यालय आदेश के अनुसार रहेगी।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक - खादी/176

पटना, दिनांक- 15/11/2017

प्रतिलिपि :- उपर्युक्त सभी संस्था/समिति के अध्यक्ष/मंत्री/उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (प्र०/खादी)/सहायक लेखा पदाधिकारी (प्र०)/सहायक लेखा पदाधिकारी (खादी पुनरुद्धार योजना सह अंकेक्षण)/प्रभारी सहायक (खादी पुनरुद्धार योजना)/निजी संचिका एवं गार्ड संचिका को आवश्यकतार्थ प्रेषित।

02. सहायक लेखा पदाधिकारी (खादी पुनरुद्धार योजना सह अंकेक्षण) को निदेश है कि कटिया चरखा आवंटित किये गये संस्था/समिति के खाते में स्वीकृत राशि को RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान करना सुनिश्चित करें।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक - खादी/176

पटना, दिनांक- 15/11/2017

प्रतिलिपि :- संबंधित जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भेटनरी कॉलेज, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक - खादी/176

पटना, दिनांक- 15/11/2017

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी